[2018] 4 एससीआर 407

रोजर मैथ्यू

बनाम

साउथ इंडियन बैंक लिमिटेड एवं अन्य

(2017 की विशेष अनुमति याचिका (सिविल) संख्या 15804) 07 मई, 2018

[आदर्श कुमार गोयल और इंदु मल्होत्रा, जेजे]

न्याय प्रशासन - न्याय तक पहुंच - न्यायाधिकरणों की अवधारणा - ट्रिब्यूनल प्रणाली का पुनर्गठन - सभी न्यायाधिकरणों के लिए प्रभावी और स्वायत्त निरीक्षण निकाय - जिन मुद्दों पर विचार करने की आवश्यकता है: (i) अधिकरणों के लिए भर्ती के लिए पात्रता निर्धारित करने वाले एक नियमित कैडर का निर्माण - (ii) भर्ती के लिए एक स्वायत्त निरीक्षण निकाय की स्थापना और इस प्रकार भर्ती किए गए सदस्यों के प्रदर्शन और अनुशासन की देखरेख और उससे संबंधित अन्य मुद्दे - (iii) संशोधन करना। उच्चतम न्यायालय में सीधी अपील की योजना ताकि अधिकरणों के आदेश उच्च न्यायालयों के अधिकार क्षेत्र के अधीन हों - (iv) अधिकरणों की पीठों को दिल्ली या कहीं और केवल एक स्थान होने के बजाय सुविधाजनक स्थानों पर आम आदमी के लिए सुलभ बनाना - वैकल्पिक रूप से, मौजूदा न्यायालयों को विशेष न्यायालयों या न्यायाधिकरणों के रूप में अधिकार क्षेत्र प्रदान करना - इन मुद्दों के लिए आवश्यक समिति के तत्काल गठन की आवश्यकता है, अधिमानत: तीन सदस्य, जिनमें से एक सर्वोच्च न्यायालय का सेवानिवृत्त न्यायाधीश होना चाहिए, जिन्हें ट्रिब्यूनल में सेवा दी जा सकती है - ऐसी समिति सभी हितधारकों के साथ बातचीत कर सकती है और संवैधानिक योजना के अनुरूप एक तंत्र का सुझाव दे सकती है और विशेषज्ञ निकायों की सिफारिशों के प्रकाश में भी - यह अभ्यास समयबद्ध तरीके से किया जाना चाहिए - मामला 10.5.2018 को सूचीबद्ध किया गया है।

आर.. K.. जैन बनाम भारत संघ (1993) 4 एससीसी 119: [1993]

3 एस. सी. आर.802; एल चंद्र कुमार बनाम भारत संघ (1997)

एससीसी 261: [1997] 2 एससीआर 1186; भारत संघ बनाम

आर गांधी, अध्यक्ष मद्रास बार एसोसिएशन (2010

) 11 एससीसी 1: [2010] 6 एससीआर 857; मद्रास बार

एसोसिएशन बनाम भारत संघ (2014) 10 एससीसी 1:[2014] 10 एससीआर 1

; मद्रास बार एसोसिएशन बनाम मद्रास बार एसोसिएशन भारत संघ

(2015) 8 एससीसी 583 : [2015] 6 एससीआर 638; गुजरात

ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड बनाम एस्सार पावर लिमिटेड (2016

) 9 एससीसी 103: [2016] 5 एससीआर 101 - पर भरोसा किया गया।

केस लॉ रेफरेंस

[1993] 3 एससीआर 802 पैरा 2 पर निर्भर था
[1997] 2 एससीआर 1186 पैरा 3 पर निर्भर
[2010] 6 एससीआर 857 पैरा 4 पर निर्भर

[2014] 10 एससीआर 1 पैरा 5 पर निर्भर
[2015] 6 एससीआर पैरा 6 पर निर्भर
[2016] 5 एससीआर 101 पैरा 7 पर निर्भर

सिविल अपीलीय क्षेत्राधिकार

2014 के डब्ल्यूपी (सी) संख्या 26290 में 2016 के डब्लू एवं 2349 के एर्नाकुलम में केरल उच्च न्यायालय के निर्णय और आदेश दिनांकित 20-01-2017 से

केके वेणुगोपाल, एजी, मनिंदर सिंह, एएसजी, अरविंद पी दातार (एसी), सुश्री वी मोहना, सुचिंद्रन बीएन, सुश्री कनिका कलैयारासन, रंजीत बी मरार, अनुभव आनंद पांडे, कृष्णदा विलादथ, सुश्री लक्ष्मी एन कैमल, आर बालासुब्रमण्यन, सुश्री श्रद्धा देशमुख, संतोष कुमार विश्वकर्मा, प्रभा बजाज, श्रीमती अनिल कटियार, मुकेश कुमार मरोरिया, पी. आई. सुश्री प्रीति सिंह, उपस्थित पक्षों के अधिवक्ता।

न्यायालय द्वारा निम्नलिखित आदेश पारित किये गये- आदेश

1। संवैधानिक योजना के आलोक में ट्रिब्यूनल सिस्टम का पुनर्गठन, जैसा कि इस न्यायालय और विशेषज्ञ अध्ययन के निर्णयों में व्याख्या की गई है, विचार का मुद्दा है। न्यायाधिकरणों की अवधारणा न्यायालय प्रणाली में भीड़ कम करने और त्वरित और सतत न्यायालय प्रदान करने के लिए विकसित की गई थी। शक्तियों का पृथक्करण और न्यायपालिका की स्वतंत्रता संवैधानिक अवधारणाएं हैं जिनका अधिकरणों की स्थापना में पालन किया जाना चाहिए। न्यायाधिकरणों के कार्यकरण की त्वरित और सस्ती गुणवत्ता वाले न्याय की कसौटी पर समीक्षा किए जाने की आवश्यकता है।

2. आर.के. जैन बनाम भारत संघ मामले में, इस न्यायालय की एक पीठ ने न्यायाधिकरणों के कामकाज की स्थिति का जायजा लेने का आह्वान किया। यह देखा गया कि न्यायाधिकरणों के संचालन के लिए नियुक्त किए गए कामक '(1993) 4 एससीसी 119 पैरा 8 रोजर मैथ्यू बनाम साउथ इंडियन बैंक लिमिटेड एवं अन्य

कार्मिक न्यायिक/अर्ध-न्यायिक शक्तियों का प्रयोग करते है और इस प्रकार, ऐसी शक्तियों पर निर्णय लेने वाले व्यक्तियों के पास कानूनी विशेषज्ञता, न्यायिक अनुभव और कानूनी प्रशिक्षण होना चाहिए। न्यायपालिका की स् वतंत्रता निष्पक्ष न्याय के लिए आवश्यक है' न्यायाधिकरणों की संस्थान न्यायालयों का स्थान न्यायालयों का विकल् प होने के नाते वादी जनता के विश्वास को बनाए रखने के लिए न्यायालयों से कम प्रभावी नहीं हो सकता है। न्यायालय ने न्यायिक समीक्षा के लिए वैकल्पिक व्यवस्था के निष्प्रभावीहोने पर नाराजगी व्यक्त की। यह देखा गया कि न्यायाधिकरणों द्वारा न्याय प्रदान करने से बहुत कुछ वांछित रह जाता है। इस न्यायालय में अपील का उपाय महंगा और निषेधात्मक था और दूर-दराज के क्षेत्रों में लोग इस न्यायालय तक पहुंचने का जोखिम नहीं उठा सकते थे। बार के सदस्यों को न्यायाधिकरणों के संचालन के लिए भर्ती किया जाना चाहिए और न्यायाधिकरणों के कामकाज को नए सिरे से देखने और नियमित निगरानी की आवश्यकता हो सकती है।

3. एल. चंद्र कुमार बनाम भारत संघ मामले में 7 न्यायाधीशों की पीठ ने विशेषज्ञ समितियों और आयोगों की रिपोर्टों का उल्लेख किया जो बकाया की समस्या से निपटते थे। विधि आयोग की रिपोर्ट (1988) ने उच्च न्यायालयों में विद्यमान स्थिति का विश्लेषण किया और विशिष्ट अधिकरणों की सिफारिश की। मलिमथ समिति की रिपोर्ट (1989-1990) में कहा गया है कि सभी न्यायाधिकरणों ने क्षमता, निष्पक्षता और न्यायिक दृष्टिकोण की कमी के कारण जनता के मन में विश्वास को प्रेरित नहीं किया। संविधान, शक्ति और नियुक्ति के तरीके की समीक्षा करने की आवश्यकता है* इस न्यायालय ने कहा कि विभिन्न न्यायाधिकरण अपेक्षाओं पर खरे नहीं उतरे हैं जो स्वयं स्पष्ट और व्यापक रूप से स्वीकार किए जाते हैं। मानकों को ऊंचा उठाने के लिए कठोर उपायों की आवश्यकता थी। उच्च न्यायालयों द्वारा न्यायिक समीक्षा का बहिष्करण और इस न्यायालय में सीधी अपील बहुत महंगी और दुर्गम थी और इस प्रकार अप्रभावी थी। अधिकरणों के निर्णयों की उच्च न्यायालय की खंडपीठ के समक्ष जांच की जानी चाहिए। ® अधिकरण के सदस्यों का अल्प कार्यकाल उचित नहीं था। गैर-न्यायिक सदस्यों के पास न्यायिक अनुभव होना चाहिए। न्यायाधिकरणों और निरीक्षण तंत्र का संचालन करने वाले व्यक्तियों की क्षमता की समीक्षा करने की आवश्यकता थी। सभी न्यायाधिकरणों के प्रशासन

के लिए पूर्ण रूप से स्वतंत्र एजेंसी की आवश्यकता थी। एक एकल संगठन वर्तमान प्रणाली की बुराइयों को दूर कर सकता है? > पैरा 67 'पैरा 68 5 पैरा 70 °पैरा 76 7 (1997) 3 एससीसी 261

* (एल. चंद्र कुमार के पैरा 88 में उद्धृत पैरा 8.63 से 8.66) ° पैरा

89 © पैरा 92 से 94 "" पैरा 95 ° पैरा 96 सुप्रीम कोर्ट की रिपोर्ट [2018] 4 एससीआर।

4. भारत संघ बनाम आर गांधी, अध्यक्ष मद्रास बार एसोसिएशन के मामले में, संविधान पीठ ने कहा कि यदि न्यायाधिकरणों को न्यायिक शक्ति दी जानी है जो पहले अदालतों द्वारा प्रयोग की जाती थी, तो उनके पास अदालतों से जुड़ी स्वतंत्रता, सुरक्षा और क्षमता होनी चाहिए। जब न्यायालयों से क्षेत्राधिकार न्यायाधिकरणों को हस्तांतरित किया जाता है, तो न्यायपालिका के सदस्यों को पीठासीन अधिकारी / सदस्य होना चाहिए जैसे किराया अधिकरण, मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण और विशेष न्यायालय। न्यायिक सदस्यों के अलावा तकनीकी सदस्यों के लिए प्रावधान या प्रतिस्थापन न्यायपालिका की स्वतंत्रता को कमजोर करने और अतिक्रमण का मामला होगा। तकनीकी सदस्य न्यायिक सदस्यों के अतिरिक्त केवल तभी हो सकते हैं जब एक विशेष ज्ञान या विशेषज्ञता आवश्यक हो। विधायिका न्यायाधिकरणों का गठन कर सकती है, लेकिन योग्यता निर्धारित करने के लिए विधायिका पर शक्ति की सीमा है और इस तरह की सीमा को ऐसी योग्यता प्रदान करने के लिए विधायिका की क्षमता में पढ़ा जाना चाहिए। न्यायिक सदस्यों से अपेक्षित मानक और नियुक्ति के लिए लागू मानक लगभग उतना ही होना चाहिए जितना कि उन न्यायाधीशों की नियुक्ति पर लागू होता है जिन्हें प्रतिस्थापित करने की मांग की जाती है। प्रशासन का अनुभव सिविल सेवा के सदस्य को एक अच्छा प्रशासक बना सकता है, लेकिन जरूरी नहीं कि वह एक सक्षम और निष्पक्ष निर्णायक हो। न्यायपालिका की स्वतंत्रता का धीरे-धीरे क्षरण हो रहा था और न्यायपालिका द्वारा कब्जा की गई जगह कम हो रही थी और सिविल सेवा से संबंधित व्यक्तियों की संख्या में वृद्धि हुई थी, जो उन कार्यों का निर्वहन कर रहे थे जो पहले अदालतों द्वारा उपयोग किए जाते थे, जिन्हें रोकने की आवश्यकता थी।

5. मद्रास बार एसोसिएशन बनाम भारत संघ (2014) मामले में, यह देखा गया कि नवगठित ट्रिब्यूनल तब तक अमान्य रूप से गठित किए जाएंगे जब तक कि इसके सदस्यों को उसी तरह से नियुक्त नहीं किया जाता है और सेवा की उन्हीं शर्तों के हकदार हैं जो उन न्यायालयों के न्यायाधीशों के लिए उपलब्ध थीं जिन्हें प्रतिस्थापित करने की मांग की गई थी। इस न्यायालय की संविधान पीठ ने कहा कि दिल्ली में सीट के साथ एक न्यायाधिकरण की स्थापना से वादी न्याय तक पहुंच की सुविधा से वंचित हो सकते हैं। वादियों को लंबी दूरी की यात्रा करने में कठिनाई का सामना करना पड़ सकता है और भारी खर्च उठाना पड़ सकता है। यह (2010) 11 एससीसी 1'4 पैरा 90 '

एस पैरा 93 '6 पैरा 108 'टी पैरा 109'§ पैरा 112 और 120 (2014) 10 एससीसी 1

» पैरा 113.2 2! पैरा 122 रोजर मैथ्यू बनाम साउथ इंडियन बैंक लिमिटेड एवं अन्य

केंद्र सरकार के लिए व्यक्तियों या उसके सदस्यों की स्वतंत्रता और निष्पक्षता को बनाए रखने के लिए उनके साथ कोई प्रशासनिक व्यवहार करना अनुचित होगा। गैर-न्यायिक सदस्यों की नियुक्ति न्यायपालिका की स्वतंत्रता और कानून के शासन को कमजोर करने और अतिक्रमण करने के रूप में हो सकती है। लेखाकार सदस्य या तकनीकी सदस्य कानून के जटिल प्रश्नों को संभाल नहीं सकते थे। न्यायिक सदस्यों को कानून के महत्वपूर्ण प्रश्नों को संभालना होता है। केवल तकनीकी ज्ञान या खातों का ज्ञान पर्याप्त नहीं था। अधिकरणों के सदस्यों की नियुक्ति का तरीका उसी प्रक्रिया से होना चाहिए जिस प्रक्रिया से न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है। केवल कानून में पर्याप्त अनुभव के साथ कानून की पेशेवर योग्यता रखने वाला व्यक्ति ऐसे मुद्दों को संभालने में सक्षम हो सकता है। पहली बार न्यायालय के स्थान पर नियुक्त न्यायाधिकरणों की मैनिंग उन न्यायाधिकरणों से भिन्न थी जो उच्च न्यायालयों™ के अधीन नहीं हैं। वादी के पक्षकार को निर्णायक निकाय के सदस्यों की चयन प्रक्रिया में भाग नहीं लेना चाहिए।

6. मद्रास बार एसोसिएशन बनाम भारत संघ (2015) मामले में न्यायाधिकरणों की नियुक्तियों में मानकों को कमजोर करने के संबंध में टिप्पणियों को दोहराया गया था।

7. गुजरात ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड बनाम एस्सार पावर लिमिटेड मामले में, एल. चंद्र कुमार और मद्रास बार एसोसिएशन (सुप्रा) के पिछले फैसलों में की गई टिप्पणियों को इस आशय से दोहराया गया था कि इस न्यायालय में अपील का उपाय बहुत महंगा और दुर्गम था। इसके अलावा, इस न्यायालय की भीड़भाड़ ने इस न्यायालय की प्रमुख संवैधानिक भूमिका को बाधित किया। गैर-न्यायिक सदस्यों द्वारा संचालित कानून के सवालों से निपटने वाले अपीलीय न्यायाधिकरण की संरचना वांछनीय नहीं थी, जिसके लिए ऐसे न्यायाधिकरणों की संरचना की समीक्षा की आवश्यकता थी। तदनुसार, इस न्यायालय ने विधि आयोग द्वारा जांचे जाने के लिए कतिपय प्रश्न तैयार किए। विधि आयोग ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है। रिपोर्ट में अन्य बातों के साथ-साथ अधिकरणों के पुनर्गठन की सिफारिश की गई है ताकि इस न्यायालय में प्रत्यक्ष अपील न की जा सके। यह भी देखा गया कि न्यायाधिकरणों का संचालन करने वाले व्यक्तियों की नियुक्ति, पात्रता, कार्यकाल और अन्य विशेषाधिकारों के तरीके को » पैरा 124 3 पैरा 126-127 * पैरा 130 5 पैरा 131 6 (2015) 8 एससीसी 583 27 पैरा

27 और 28 8 (2016) 9 एससीसी 103

» पैरा 30-40 सुप्रीम कोर्ट रिपोर्ट [2018] 4 एससीआर

न्यायालयों में कार्यरत व्यक्तियों के समकक्ष होना चाहिए जिन्हें प्रतिस्थापित करने की मांग की गई थी। चयन प्रक्रिया को न्यायपालिका की स्वतंत्रता सुनिश्चित करनी चाहिए। सभी न्यायाधिकरणों को उचित निगरानी के लिए एक ही संगठन के नीचे रखा जाना चाहिए।

8. संसदीय स्थायी समिति की रिपोर्ट में अधिकरणों के सदस्यों की समान सेवा शर्तों के लिए एक मसौदा विधेयक पर विचार किया गया।

9. उपर्युक्त पृष्ठभूमि में, जब वर्तमान मामला 24 अक्टूबर, 2017 को सुनवाई के लिए आया तो यह बताया गया कि ऋण वसूली न्यायाधिकरणों की नियुक्ति, मानदंड और कार्यप्रणाली विभिन्न निर्णयों में इस न्यायालय की टिप्पणियों के अनुरूप नहीं थी। तदनुसार, अदालत ने श्री अरविंद पी. दातार विद्वान वरिष्ठ वकील से न्यायमित्र के रूप में अदालत की सहायता करने का अनुरोध किया। 6 दिसंबर, 2017 को, न्यायालय ने ट्रिब्यूनल के पुनर्गठन विशेष रूप से ट्रिब्यूनल के संचालन के लिए एक नियमित कैडर का निर्माण के मुद्दे पर अटॉर्नी जनरल के साथ बातचीत की,

10. 15 मार्च, 2018 को, एमिकस ने एक अवधारणा नोट दिया। यह भी प्रस्तुत किया गया था कि सेवानिवृत्त व्यक्तियों में से अल्पकालिक नियुक्तियां न्यायाधिकरणों द्वारा न्याय वितरण के लिए अनुकूल नहीं थीं। न्यायाधिकरणों को एक नियमित कैडर द्वारा संचालित किया जाना चाहिए। चयन एक विशेषज्ञ स्वायत्त निकाय द्वारा एक राष्ट्रीय प्रतियोगिता द्वारा किया जाना चाहिए। निगरानी तंत्र को एक स्वायत्त निकाय के साथ निहित किया जाना चाहिए। इस न्यायालय में सीधे कोई वैधानिक अपील नहीं होनी चाहिए क्योंकि इससे न्याय तक पहुंच बाधित होती है, इस न्यायालय में मुकदमेबाजी दूर स्थानों पर स्थित वादी के लिए महंगी और कठिन होती है।

11. तदनुसार, इस न्यायालय ने मत दिया कि कानून के शासन और न्यायपालिका की स्वतंत्रता को बनाए रखने के लिए न्यायाधिकरणों की संरचना की समीक्षा आवश्यक थी। केंद्र सरकार को अपना जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया गया था। 12. 4 अप्रैल, 2018 को फिर से, निम्नलिखित मुद्दों पर ध्यान दिया गया:

"i) न्याय तक पहुंच में बाधा को कैसे दूर किया जाए जब एक ट्रिब्यूनल के पास

देश के अन्य सभी न्यायालयों के अधिकार क्षेत्र को

बाहर करने के लिए अपने काम के लिए केवल एक सीट है, जैसा कि

गुजरात ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड बनाम एस्सार पावर लिमिटेड

, (2016) 9 एससीसी 103 पैरा 34 में उल्लेख किया गया है। ऐसे मामलों में, प्रश्न यह

है कि क्या अधिकरण का क्षेत्राधिकार प्रत्येक राज्य में

उच्च न्यायालय द्वारा नामित विनिर्दिष्ट न्यायालय को

को प्रदान किया जा सकता है या, जहां कुछ राज्यों में इस प्रकार का कार्य महत्वहीन हो सकता

है, एक से अधिक राज्यों में एक अधिकारी को प्रदान किया जा सकता है रोजर मैथ्यू बनाम साउथ इंडियन बैंक लिमिटेड और अन्य।

(ii) क्या निजी भागीदारी के साथ या उसके बिना न्याय सुविधा केन्द्रों तक पहुंच (एजेएफसी) की स्थापना देश में सुविधाजनक स्थानों पर की जा सकती है, जहां से कोई पक्षकार ऐसे विनिर्दिष्ट प्रभारों के भुगतान के साथ या उसके बिना लंबी दूरी पर स्थित न्यायालय या अधिकरण तक पहुंच सकता है। ऐसे केंद्रों में ई-फाइलिंग और ऐसी अन्य सेवाओं की भी सुविधा हो सकती है जो किसी पार्टी को कार्यवाही में भाग लेने की सुविधा प्रदान कर सकती हैं। यह न्याय तक पहुंच को बढ़ा सकता है और लंबी दूरी की यात्रा करने की आवश्यकता को कम कर सकता है, खासकर अगर ऐसी पार्टियां दूरदराज के क्षेत्रों में हैं। (iii) क्या अधिकरणों/आयोगों के लिए सांविधिक रूप से निर्धारित अर्हताओं वाले उपयुक्त व्यक्तियों की उपलब्धता के अभाव में, रिक्तियों को भरे जाने तक, ऐसे अधिकरणों/आयोगों को उच्च न्यायालयों के परामर्श से मौजूदा न्यायालयों द्वारा संचालित किया जा सकता है। कहने की जरूरत नहीं है कि सर्विसिंग अधिकारी प्रदर्शन और अनुशासन के मामले में विधिवत चयनित और जवाबदेह हैं। (iv) क्या मानवाधिकार आयोगों जैसे अतिव्यापी क्षेत्राधिकार वाले आयोगों/अधिकरणों, जिनकी किसी राज्य में केवल एक सीट है, की शक्तियां ऐसे आयोग के अतिरिक्त या उसके स्थान पर एक या अधिक जिलों में विनिर्दिष्ट न्यायालयों को प्रदान की जा सकती हैं, ताकि न्याय तक जमीनी स्तर पर न्याय को पहुंच उपलब्ध हो सके।

13. तदनुसार, भारत संघ द्वारा एक हलफनामा दायर किया गया है। हलफनामे में अन्य बातों के साथ-साथ न्यायाधिकरणों के लिए नियुक्ति प्रक्रिया से संबंधित वित्त अधिनियम, 2017 और इस न्यायालय में इसे चुनौती देने वाली याचिका का उल्लेख किया गया है। यह प्रस्तुत किया जाता है कि मामला न्यायाधीन होने के कारण यह न्यायाधिकरणों के संचालन के मुद्दे पर फिर से विचार करने का स्तर नहीं था।

14. हलफनामा सभी न्यायाधिकरणों के कामकाज से संबंधित नहीं है और ऋण वसूली न्यायाधिकरणों तक ही सीमित है। यह माना जाता है कि ऋण वसूली न्यायाधिकरण की प्रणाली न्यायालयों की प्रणाली की तुलना में कहीं अधिक कुशल थी। यह कहा गया है कि 30.09.1990 तक अदालतों में 15 लाख से अधिक बैंक मामले लंबित थे, लेकिन 31.03.2017 तक 39 ऋण वसूली न्यायाधिकरणों के समक्ष केवल 78,961 मामले लंबित थे। तथापि, यह निष्कर्ष निकाला गया है कि भारत संघ न्याय तक पहुंच के मुद्दे पर पुनर्विचार करने के विरुद्ध नहीं था। सुप्रीम कोर्ट की रिपोर्ट [2018] 4 एस.सी.आर.

15. विद्वान न्यायमित्र ने बताया कि भारत संघ का हलफनामा इन कार्यवाहियों में उठाए गए मुद्दों से संबंधित नहीं है। हलफनामे में अदालतों और न्यायाधिकरणों के कामकाज की तुलना करने की धारणा पूरे प्रासंगिक आंकड़ों पर आधारित नहीं थी। 15 लाख मामलों का संदर्भ सभी मामलों के संदर्भ में प्रतीत होता है, जबकि न्यायाधिकरणों के समक्ष लंबित मामलों का संदर्भ केवल 10 लाख से अधिक मामलों में है। इसके अलावा, निपटान की दर की तुलना करने के लिए वार्षिक संस्था और निपटान के आंकड़े प्रस्तुत नहीं किए गए हैं। विभिन्न अधिकरणों के समक्ष लंबित मामलों की सबसे लंबी अवधि का भी उल्लेख नहीं किया गया है।

16. विद्वान न्यायमित्र ने अवधारणा नोट का उल्लेख करते हुए कहा कि एल. चंद्र कुमार (सुप्रा) में टिप्पणियों के आलोक में एक स्वतंत्र निरीक्षण निकाय की आवश्यकता थी, जिसे एनसीएलटी मामले (मद्रास बार एसोसिएशन) (2015) (सुप्रा) में इस आशय से दोहराया गया है कि ट्रिब्यूनल या उनके सदस्यों को प्रायोजक या मूल मंत्रालयों या संबंधित विभागों से सुविधाएं लेने की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। संसदीय स्थायी समिति की 74% रिपोर्ट भी देश में सभी अधिकरणों की निगरानी के लिए एक राष्ट्रीय न्यायाधिकरण आयोग के गठन की सिफारिश की। तदनुसार, यह सुझाव दिया गया है कि राष्ट्रीय अधिकरण आयोग (एनटीसी) नामक एक स्वतंत्र निकाय का गठन निम्नानुसार किया जाना चाहिए:

(क) दो सेवानिवृत्त सुप्रीम कोर्ट न्यायाधीश (उनमें से सबसे वरिष्ठ अध्यक्ष होंगे)

(ख) दो सेवानिवृत्त उच्च न्यायालय के न्यायाधीश (सदस्य)

(ग) कार्यपालिका का प्रतिनिधित्व करने वाले तीन सदस्य।

एनटीसी के सदस्यों की नियुक्ति निम्नलिखित चयन समिति द्वारा की जानी चाहिए:

भारत के मुख्य न्यायाधीश (समिति के अध्यक्ष के रूप में जो

निर्णायक वोट का प्रयोग करते हैं)

भारत के मुख्य न्यायाधीश के बाद सर्वोच्च न्यायालय के दो वरिष्ठतम न्यायाधीश

;

वर्तमान कानून मंत्री; और

विपक्ष के नेता। रोजर मैथ्यू बनाम साउथ इंडियन बैंक लिमिटेड

और अन्य।

17. एनटीसी को केंद्रीय न्यायाधिकरणों के कामकाज की देखरेख करनी चाहिए और राज्य न्यायाधिकरणों के लिए इसी तरह के निकाय का गठन किया जा सकता है। एनटीसी को उप-समितियों का गठन करके अधिकरणों के सदस्यों की नियुक्ति और उन्हें हटाने से निपटना चाहिए। अवधारणा नोट इस विषय पर अधिक विवरण से भी संबंधित है। इसके अलावा सुझाव यह है कि अधिकरणों के सदस्य को राष्ट्रीय प्रतियोगिता द्वारा भर्ती किया जाना चाहिए। एक बार भर्ती होने के बाद उन्हें अपनी दक्षता और संतोषजनक कामकाज के अधीन 62/65 वर्ष की आयु तक जारी रखना चाहिए। न्यायाधिकरण सेवानिवृत्त व्यक्तियों के लिए स्वर्ग नहीं होना चाहिए और नियुक्ति प्रक्रिया के परिणामस्वरूप निर्णय प्रभावित नहीं होने चाहिए यदि सरकार स्वयं वादी है और एक ही समय में नियुक्ति प्राधिकारी है। सेवानिवृत्ति के बाद किसी भी रोजगार की स्वीकृति पर प्रतिबंध होना चाहिए। यह भी सुझाव है कि अनुच्छेद 226/227 के तहत उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र को दरकिनार करने को इस न्यायालय में प्रत्यक्ष अपील को छोड़कर वैधानिक संशोधन द्वारा ठीक करने की आवश्यकता है। सदस्यों को हटाने के लिए उचित तंत्र होना चाहिए।

18. हम मोटे तौर पर ऐसे अपवादों के साथ सभी अधिकरणों के लिए एक प्रभावी और स्वायत्त निरीक्षण निकाय होने की अवधारणा को मंजूरी देते हैं जो अपरिहार्य हो सकते हैं। ऐसे निकाय को अधिकरणों के सदस्यों की भर्ती और कामकाज की निगरानी के लिए जिम्मेदार होना चाहिए। न्यायाधिकरणों के लिए नियमित संवर्ग आवश्यक हो सकता है। न्यायमित्र ने ब्रिटेन की तर्ज पर अखिल भारतीय न्यायाधिकरण सेवा स्थापित करने का सुझाव दिया। सदस्यों को या तो उच्च न्यायिक सेवा में सेवारत अधिकारियों से लिया जा सकता है या राष्ट्रीय प्रतियोगिता द्वारा उचित योग्यता के साथ सीधे भर्ती किया जा सकता है। संविधान के अनुच्छेद 235 के तहत उच्च न्यायालय द्वारा अधीक्षण के रूप में उनके प्रदर्शन और कार्यप्रणाली की समीक्षा एक स्वतंत्र निकाय द्वारा की जानी चाहिए। प्रत्यक्ष अपीलों की जांच की जानी चाहिए। अधिकरणों के सदस्य न केवल उच्च न्यायालयों में नियुक्ति के लिए पात्र होने चाहिए बल्कि एक ऐसे तंत्र पर विचार किया जाना चाहिए जिसके तहत उन्हें उसी पैटर्न पर उचित विचार दिया जाए जिस पर उच्च न्यायिक सेवा के सदस्यों को दिया जाता है। इससे उच्च न्यायालयों को अधिकरणों के निर्णयों से उत्पन्न होने वाले मुद्दों से निपटने के लिए अपेक्षित प्रतिभा प्राप्त करने में मदद मिल सकती है। न्यायाधिकरणों के लिए एक नियमित कैडर न्यायपालिका के लिए कैडर के पैटर्न पर हो सकता है। त्वरित और सस्ता न्याय प्राप्त करने के लिए न्यायाधिकरणों की स्थापना का उद्देश्य किसी भी तरह से ऐसा करने में बाधित नहीं होगा। जहां कहीं भी अधिकरण की केवल एक सीट है, वहां इसकी पीठें या तो सभी राज्यों में या कम से कम उन सभी क्षेत्रों में उपलब्ध होनी चाहिए जहां केवल एक स्थान के बजाय मुकदमेबाजी होती है। सुप्रीम कोर्ट की रिपोर्ट [2018] 4 एस.सी.आर.

19. संक्षेप में, विचार किए जाने की आवश्यकता वाले मुद्दे निम्नानुसार हो सकते हैं -

(i) अधिकरणों के लिए भर्ती के लिए पात्रता निर्धारित करने वाले नियमित संवर्गों का सृजन

;(ii) इस प्रकार भर्ती किए गए सदस्यों की भर्ती और उनके निष्पादन और अनुशासन की देखरेख करने तथा उनसे संबंधित अन्य मुद्दों के लिए एक स्वायत्त निरीक्षण निकाय की स्थापना;

(iii) इस न्यायालय में सीधी अपील की योजना में संशोधन करना ताकि अधिकरणों के आदेश उच्च न्यायालयों के क्षेत्राधिकार के अधीन हों;

(iv) अधिकरणों की न्यायपीठों को दिल्ली या अन्य स्थानों पर केवल एक स्थान होने के बजाय सुविधाजनक स्थानों पर आम आदमी के लिए सुलभ बनाना। वैकल्पिक रूप से, मौजूदा अदालतों को विशेष न्यायालयों या न्यायाधिकरणों के रूप में अधिकार क्षेत्र प्रदान करना।

20. उपर्युक्त मुद्दों के लिए एक समिति के तत्काल गठन की आवश्यकता हो सकती है, अधिमानत: तीन सदस्यों की, जिनमें से एक इस न्यायालय का सेवानिवृत्त न्यायाधीश होना चाहिए, जिसे ट्रिब्यूनल में सेवा दी जा सकती है। ऐसी समिति सभी हितधारकों के साथ अंतर-क्रिया कर सकती है और संवैधानिक योजना के अनुरूप एक तंत्र का सुझाव दे सकती है जैसा कि इस न्यायालय द्वारा ऊपर उल्लिखित कई निर्णयों में और विशेषज्ञ निकायों की सिफारिशों के प्रकाश में व्याख्या की गई है। इस कार्य को समयबद्ध तरीके से किया जाना चाहिए

और मामले पर आगे विचार करने के लिए, अटॉर्नी जनरल द्वारा किए गए अनुरोध के अनुसार गुरुवार यानी 10 मई, 2018 को सूचीबद्ध करें।

देविका गुजरात के निर्देश जारी।

(श्रीमती मंजुला मिश्रा)

अपर सिविल जज, जू०डि०–2/जे०एम०